

उदय प्रताप कालेज, वाराणसी

(स्वायत्तशासी संस्था)

दिनांक : 12.05.2023

सूचना

महाविद्यालय में बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0काम0 एवं बी0एस-सी0 (आनर्स) कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यदि वे मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगला योजना हेतु पात्र है एवं इसका लाभ प्राप्त करना चाहती हैं तो वे उदय प्रदेश सरकार की वेबसाइट <https://mksy.up.gov.in> पर लागिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इस योजना के तहत रू0 15000.00 की आर्थिक सहायता छः चरणों में प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। सूच्य है कि किसी छात्रा को कोई अन्य छात्रवृत्ति मिलने के स्थिति में भी इस योजना हेतु छात्रा की पात्रता/अर्हता बनी रहेगी।

योजना की पात्रता हेतु अर्हताएँ :

1. उ0प्र0 का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र हो।
2. परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू0 3,00,000.00 से अधिक न हो।
3. एक माता-पिता के अधिकतम दो ही बच्चियों को इस योजना का लाभ देय होगा।

पात्र छात्रायें यथाशीघ्र इस योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठायें।


प्राचार्य